



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।



उत्तराखण्ड राज्य

Fax No. 2780290

Website: www.res.uk.gov.in

Ph. No. 2781556, 2780290

e-mail: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक 614 / ग्राणिनिधि / कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा) / 2023-24 दिनांक : 09. 6. : 2023  
(स्थानान्तरण आदेश)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानों एवं शासनादेश संख्या I/120994/2023/XXX(2)/E-33080 एवं शासनादेश संख्या I/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.5.2023 के अनुसार स्थानान्तरणों हेतु निर्धारित की गयी आधिकारम सीमा के अर्न्तगत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संसृति किये गये विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विकरण के अनुसार किया जाता है।

क्रम संख्या	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1	श्री राजेश कुमार	प्रखण्ड-टिहरी	प्रखण्ड-चमोली	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17-(एक) (क) के अन्तिम परन्तुक के अर्न्तगत स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 (3) के अर्न्तगत स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 (3) के अर्न्तगत
2	श्रीमती स्वाती चौहान	प्रखण्ड-देहरादून (विद्युत कार्यालय)	प्रखण्ड-टिहरी	
3	श्रीमती ऋतु भट्ट	प्रखण्ड-चमोली	प्रखण्ड-देहरादून	

1-स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1)(2)(3)(4) के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्यानिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

2-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उनका माह जुलाई 2023 का वेतन नव तैनाती प्रखण्ड से ही आहरित किया जायेगा।

3-नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4-यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।

5-धारा-25 के अर्न्तगत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यकर्मों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

(5)

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड-देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड-शासन देहरादून।
- 2-मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल (स्थित भीमताल)
- 3-अधीक्षक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून,
- 4-अधिशारी अभियन्ता चमोली, देहरादून, टिहरी, देहरादून (विद्युत/यांत्रिक) कार्यालय।
- 5-वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून, टिहरी, देहरादून।
- 8-उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड-चमोली, देहरादून (विद्युत/यांत्रिक) खण्ड, प्रखण्ड-टिहरी।
- 9-व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्र बन्ध।
- 10-विभागीय बैकसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड-देहरादून